न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–183 / 2026

GCMS No.- 2026/194

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री पवन माली पुत्र श्री कचरूराम (मालिक) श्रीबालाजी नास्ता कॉर्नर जैतारण चौकी, मेड़तासिटी, तहसील मेड़ता व जिला नागौर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :– 03.06.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय, नागौर ने यह प्रार्थना–पत्र गैर सायल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को समपहरण के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल स्वयं उपस्थित रहा।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित प्रवर्तन निरीक्षक का बहस में कथन है कि दिनांक 19.03.2026 को समय 11.50 पी.एम. बजे श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी हमराह श्री रामनिवास बेरवाल, श्री ओमेन्द्र कुमार व श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षकगण द्वारा श्रीबालाजी नास्ता कॉर्नर जैतारण चौकी, मेड़तासिटी पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थी श्री पवन माली पुत्र श्री कचरूराम उपस्थित मिले, जिन्होनें स्वयं को उक्त होटल का मालिक होना जाहिर किया। मौके पर उक्त होटल पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को गैस भट्टी से जोड़ा जाकर एल.पी.जी. को ईधन के रूप में कार्य लिया जाकर खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाना पाया गया। मौके पर तलाशी लेने पर उक्त होटल पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बिना उपयोग के रखे पाये गये। इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्तानुसार कुल 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर उक्त होटल के मालिक अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये। होटल के मालिक अप्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये 01 घरेलू गैस का भरा हुआ एवं 01 घरेलू गैस का खाली सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों की तलपट्टी निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	एस.आर.नम्बर	नाम कम्पनी	भरे हुए सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	खाली सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	शुद्ध गैस का वजन (किलोग्राम में)	विशेष विवरण
1	921899-T	IOCL	24.9	15.8	9.1	--
2	138675-T	IOCL	15.7	15.7	0.0	--

उपर्युक्त जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को मौके पर ही श्री प्रहलादसिंह पुत्र तेजसिंह निवासी रासलियावास तहसील रियांबड़ी हाल मैसर्स चारभुजा भारत गैस, गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि को सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखने की दृष्टि से न्यायालय से निर्णय होने तक सुपुर्द किये गये।

इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः निवेदन है कि प्रकरण में जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

गैर सायल ने उपस्थित होकर बताया कि जब्त सुदा सिलेण्डर हमारे घरेलू गैस सिलेण्डर है, जिनका उपयोग घरेलू कार्य हेतु लिया जा रहा है। खाली एक सिलेण्डर घरेलू उपयोग का ही है, जो खाली होने पर पुनः भरवाने के लिए यहां पर रखा हुआ था जिसे रसद विभाग की टीम अभियान का बहाना बनाकर उठाकर ले गयी है। हमारे द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का कोई दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए निवेदन है कि हमारे घरेलू गैस के सिलेण्डर पुनः हमें दिलवाये जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं दौरोने बहस प्रार्थी का कथन है कि वक्त मौका निरीक्षण होटल पर घरेलू गैस सिलेण्डर को गैस भट्टी से जोड़ा जाकर एल.पी.जी. को ईधन के रूप मे कार्य लिया जाकर खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाना पाया गया। पत्रावली में प्रस्तुत फर्द मौका, फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा का अवलोकन करने पर केवल घरेलू गैस सिलेण्डरों को ही जब्त किया गया है, अगर गैर सायल द्वारा इन सिलेण्डरों को गैस भट्टी से जोड़ा जाकर काम लिया जा रहा था तो उक्त भट्टी एवं पाईप एवं इनसे सम्बन्धित अन्य सामग्री जब्त नहीं की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डरों को अन्य उपयोग के लिए प्रयोग में लिया जाना नहीं माना जा सकता है, केवल मात्र गैस सिलेण्डर रखे होने से उन्हे जब्त किया जाना उचित नहीं है। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिया जाता है कि गैर सायल से जब्त सुदा सिलेण्डर पुनः गैर सायल को लौटाये जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर,
नागौर